न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 14 (4) एल.आर.: 02/2016

दायर दिनांकः 05.07.2016

निर्णय दिनांक 20.02.2020

—:अनवानः—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नाथद्वारा

—————प्रार्थी

—:बनामः—

1. श्री विष्णु पिता लक्ष्मीनारायण जोशी पेशा सरकारी नौकरी, निवासी जोशियों की मादडी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द हाल निवासी 12 सागर कॉलोनी, रूप सागर तालाब के पास कोने वाला मकान कालका माता उदयपुर।
2. श्री गोविन्द पिता लक्ष्मीनारायण जोशी पेशा सरकारी नौकरी, निवासी जोशियों की मादडी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द हाल निवासी 27 ए लाल विहार नया आर. टी. ओ. ऑफीस के पास युनिवर्सिटी कोलोनी, उदयपुर।
3. श्री दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण जोशी पेशा सरकारी नौकरी, निवासी जोशियों की मादडी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द हाल निवासी इनकम टेक्स कॉलोनी, शाही बाग के पास, हिरण मगरी सेक्टर 11, उदयपुर।
4. श्री मदनलाल पिता लक्ष्मीनारायण जोशी, निवासी जोशियों की मादडी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
5. श्रीमती लीला देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण जोशी पत्नी श्री चुन्नीलाल पालीवाल निवासी नन्दसमन्द रोड, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
6. श्रीमती आशा देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण जोशी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद पालीवाल निवासी बिजलाई तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
7. श्रीमती फूलवन्ती देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण जोशी पत्नी श्री रविन्द्र पालीवाल निवासी धॉयला तहसील व जिला राजसमन्द।
8. श्रीमती इन्द्रा बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जोशी निवासी जोशियों की मादडी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

——————अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर ★ राजसमन्द (राज.)

प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्त करने अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटित भूमि को निरस्त कराने बाबत।

उपस्थितः–

1– श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी

2– श्री विश्वजीत सिंह कर्णावट अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, नाथद्वारा के द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में दिनांक 05.07.2016 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत आंवटित भूमि को निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत कर राजस्व गावॅ निचली ओडन, पटवार हल्का उपली ओडन, तहसील नाथद्वारा, के आराजी नम्बर 603 रकबा 0–15 बिस्वा बंजड स्थित हैं, जिसे विपक्षीगण के पिता श्री लक्ष्मीनारायण पिता नन्दलाल ब्राहम्ण निवासी जोशीयों की मादडी के नाम आंवटित की गई। जो सरकारी नौकरी में होकर अध्यापक के पद पर कार्यरत थें। लेकिन विपक्षीगण के पिता आवंटन की पात्रता नही रखते थें। उपरोक्त आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व ही ठाकूर जी लक्ष्मीनारायण जी के आधिपत्य में थी, जिनका रेवेन्यू रेकार्ड में अतिक्रमी की हैसीयत से कब्जा दर्ज था। उससे उक्त आंवटित भूमि, आंवटन के समय लक्ष्मीनारायण जी मंदिर के आधिपत्य में थी, उक्त भूमि रिक्त नही थी, ग्राम जोशियों की मादडी के आराजी संख्या 527,528,529,530,531,532,533,534 जिसके खातेदार मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी स्थानदेह है, उक्त भूमि से सटमा गावॅ निचली ओडन की आराजी संख्या 603 मिली हुई हैं, जिस पर बाउण्डरी वॉल भी लक्ष्मीनारायण जी के मन्दिर की ओर से गावॅ वालो ने कच्चे पत्थरों में बाउण्डरी बना रखी हैं अर्थात जोशियों की मादडी व निचली ओडन की सीमा पर उक्त आराजी होकर लक्ष्मीनारायण जी मन्दिर की खातेदारी की संलग्न भूमि के अन्दर स्थित है, जिस पर लक्ष्मीनारायण जी मन्दिर मूर्ति का आधिपत्य हैं। उक्त भूमि पर विपक्षीगण के पिता श्री लक्ष्मीनारायण का आधिपत्य नही रहा है, न ही कभी अतिक्रमी रहे हैं। आवंटन दिनांक से आज दिन तक कभी भी विपक्षीगण के पिता ने आवंटन की शर्तो की पालना नही की हैं। उक्त आवंटन आज भी गैरखातेदारी में अंकन हैं। जो आवंटन की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन हैं। अतः अप्रार्थी का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस सूचित किया गया और आवंटन पत्रावली तलब की गयी। किन्तु तहसीलदार, नाथद्वारा की रिपोर्ट दिनांक 10.04.2018 के अनुसार अप्रार्थीगण के नाम ग्राम निचली ओडन में स्थित आराजी नं0 603 रकबा 0.15 बिस्वा भूमि दिनांक 15.05.1976 को गैर खातेदारी हक से आवंटन संबंधि मूल पत्रावली को कार्यालय हाजा के रेकार्ड रूम में काफी तलाश के बाद भी नहीं मिली, पत्रावली करीब 40 वर्ष से अधिक पुरानी हैं। अप्रार्थी की ओर से उसके अधिवक्ता ने उपस्थिति दी और दिनांक 20.12.2018 को जवाब प्रस्तुत किया

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने योग्य होना बताया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पेरोकार सरकार ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए मुख्य रुप से बताया कि राजस्व गावॅ निचली ओडन, पटवार हल्का उपली ओडन, तहसील नाथद्वारा, के आराजी नम्बर 603 रकबा 0—15 बिस्वा बंजड स्थित हैं, जिसे विपक्षीगण के पिता श्री लक्ष्मीनारायण पिता नन्दलाल ब्राहम्ण निवासी जोशीयों की मादडी के नाम आंवटित की गई। जो सरकारी नौकरी में होकर अध्यापक के पद पर कार्यरत थें। लेकिन विपक्षीगण के पिता आवंटन की पात्रता नही रखते थें। उपरोक्त आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व ही ठाकूर जी लक्ष्मीनारायण जी के आधिपत्य में थी, जिनका रेवेन्यू रेकार्ड में अतिक्रमी की हैसीयत से कब्जा दर्ज था। उससे उक्त आंवटित भूमि, आंवटन के समय लक्ष्मीनारायण जी मंदिर के आधिपत्य में थी, उक्त भूमि रिक्त नही थी, ग्राम जोशियों की मादडी के आराजी संख्या 527,528,529,530,531,532,533,534 जिसके खातेदार मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी स्थानदेह है, उक्त भूमि से सटमा गावॅ निचली ओडन की आराजी संख्या 603 मिली हुई हैं, जिस पर बाउण्डरी वॉल भी लक्ष्मीनारायण जी के मन्दिर की ओर से गावॅ वालो ने कच्चे पत्थरों में बाउण्डरी बना रखी हैं अर्थात जोशियों की मादडी व निचली ओडन की सीमा पर उक्त आराजी होकर लक्ष्मीनारायण जी मन्दिर की खातेदारी की संलग्न भूमि के अन्दर स्थित है, जिस पर लक्ष्मीनारायण जी मन्दिर मूर्ति का आधिपत्य हैं। उक्त भूमि पर विपक्षीगण के पिता श्री लक्ष्मीनारायण का आधिपत्य नही रहा है, न ही कभी अतिक्रमी रहे हैं। आवंटन दिनांक से आज दिन तक कभी भी विपक्षीगण के पिता ने आवंटन की शर्तो की पालना नही की हैं। दिनांक 21.04.2016 में बनाये गये पर्चे मौके मे भी अप्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा आधिपत्य नहीं होना पाया गया था। जो पर्चा मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है तथा इस संबंध मे ग्रामवासियों की भी लिखित मे शिकायत प्रस्तुत हुई थी। अंत में अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2009 (1) RRT 113 (HIGH COURT), 2009(1) RRT 251 पेश किया गया। जिसके अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1970 के नियम 2, 4 व 14 — भूमिहीन व्यक्ति — भूमि का आवंटन— प्रार्थी को भूमि आवंटित की— कपट तथा दुर्व्यपदेशन द्वारा आंवटन प्राप्त किया— नगर पालिका का कर्मचारी होने के कारण भूमिहीन व्यक्ति नही माना जा सकता— आवंटन निरस्त करने में विलम्ब अतात्विक हैं— निचले तीन न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष — निर्णीत, हस्तक्षेप हेतु मामला नही बनता हैं। और निवेदन किया कि उक्त आवंटन आज भी गैरखातेदारी में अंकन हैं। जो आवंटन की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन हैं। अतः अप्रार्थी का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि दिनांक 15.05.1976 को विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी को आवंटित होना स्वीकार हैं। लेकिन उक्त आवंटन को निरस्त किया जाना किसी भी स्थिति में अनुकूल नही हैं। राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1970 के तहत भूमि आंवटन के संबंध में सरकारी नौकरी में कार्यरत कर्मचारी को आवंटन पर किसी प्रकार का कोई

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रतिबंध नही हैं। तथा विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी के परिवारजन कृषि कार्य करने वाले परिवार से संबंधित हैं। वादग्रस्त आराजी संख्या 603 पर ठाकूर जी लक्ष्मीनारायण का कोई आधिपत्य नही था। और यदि आधिपत्य होता तो ठाकूर जी की ओर से उसके सिजारी या ठाकूर जी के संरक्षक के रूप में उसका नाम दर्ज होता। वादग्रस्त आवंटित भूमि पर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी जब तक जीवित रहे तब तक उनका आधिपत्य रहा और उन्होने अपने जीवनकाल में उक्त आवंटित भूमि को कृषि योग्य बनाया, विकसित की जिसमें काफी श्रम एवं अर्थ लगाया। ग्रामवासियों के किसी तथाकथित प्रार्थना पत्र पर मौका पर्चा बनाने से पहले विपक्षीगण को कोई नोटिस ही नही दिया गया और मनमाने तरिके से तथा कथित मौका पर्चा बनाया गया था। उक्त आवंटन की प्रार्थी को जानकारी नही थी, सर्वथा मिथ्या, बेबूनियाद और मनगढन्त हैं क्योकि आवंटन की प्रक्रिया में तहसीलदार एक सदस्य होता हैं। साथ ही राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज तहसीलदार की जानकारी में हस्ताक्षर से होता है। आराजी नं0 603 वादग्रस्त भूमि का ठाकुरजी लक्ष्मीनारायण जी का कभी भी कब्जा नहीं रहा न हो सकता था तथा प्रार्थी के कथनानुसार जिसे विपक्षीगण पूरी तरह दृढ़ता से अस्वीकार करते है कि रेवेन्यू रेकार्ड में ठाकुरजी लक्ष्मीनारायण जी अतिक्रमी की हैसीयत से कब्जा दर्ज था और अतिक्रमी का कब्जा कोई विधिक कब्जा नहीं है और ऐसी भूमि आवंटन योग्य होती है और आवंटन किये जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक बाधा नहीं है। ऐसी भूमि को अनओक्यूपाइड भूमि मानी जाती है। उक्त प्रार्थना पत्र आवंटन के 40 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी है। जो इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। आवंटन को निरस्त किये जाने के संबंध में प्रार्थना देरी से पेश किया गया है इस कारण से उक्त प्रार्थना पत्र ही खारिज होने योग्य है। उक्त देरी का आधार भी युक्तियुक्त नहीं है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता है। आराजी नं0 528, 529, 530, 531 सेटलमेन्ट से पूर्व भीलों के नाम पर दर्ज थी तथा सेटलमेन्ट अधिकारी के द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान लक्ष्मीनारायण मंदिर के नाम पर अतिक्रमण दर्ज करने में त्रुटि कारित की है सेटलमेन्ट अधिकारी को उक्त इन्द्राज परिवर्तित करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। खसरा गिरदावरी से उक्त भूमि पर हमारा कब्जा सिद्व है सम्वत 2067 में मक्की की फसल दिखाई गयी है। अभी भी भूमि गैर खातेदारी मे दर्ज है। अधिवक्ता अप्रार्थी के द्वारा अपने कथन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत :– 03 वर्ष बाद खातेदारी से गैर खातेदारी के संबंध में (1.) 2018 RRD 479. HC, पेश किया गया। जिसके अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1970 के नियम 14(3), 14(4) – मण्डल ने आदेश अपास्त किया और आवंटन बहाल किया – 3 वर्ष बाद खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान – खातेदारी अधिकार प्रदान होने के बाद आवंटन रद्द नही किया जा सकता हैं। 3 वर्ष बाद खातेदारी अधिकार प्रदान होने की उपधारणा – भूमि के काश्त न करने के आधार पर आवंटन रद्द किया– निर्णीत, मण्डल ने आवंटन रद्द करने का आदेश अपास्त करने में कोई त्रुटि नही की हैं। (2.) 2018 RRD 492, पेश किया गया। जिसके अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, धारा 76 – कलक्टर ने नियम 14(4)

न्यायालय जिला कलक्टर ★ ★ राजसमन्द (राज.)

के तहत एकतरफा आवंटन निरस्त किया – अपील में कलक्टर का आदेश अपास्त किया और आवंटन बहाल रखा गया – मंडल में द्वितीय अपील – अभिनिर्धारित – कलक्टर द्वारा 40 वर्ष पश्चात बगैर आवंटी को सुने आवंटन निरस्त किया– आवंटी राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज था जिसे 3 वर्ष पश्चात निर्धारित राशि जमा कराकर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता था – बारानी भूमि पर लगातार फसल न करने का तर्क उचित नही – अपील में उक्त आदेश विधिक रूप से निरस्त किया गया। (3.) 2018 I RRT 285, पेश किया गया। जिसके अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम –धारा 76 – आवंटन निरस्त किया – खातेदारी अधिकार 10 वर्ष बाद के अवसान के बाद स्वतः प्रदान करने चाहिए आवंटन निरस्त करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया– निर्णीत, आवंटन निरस्त करने हेतु मामला नही बनता हैं। तथा आदेश अपास्त होने योग्य हैं। (4.) 2016 DNJ Rev. 115, पेश किया गया। जिसके अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1970 के नियम – 18 जरिये आदेश दिनांक 06.12.1978 से भूमि प्रार्थी के नाम नियमन की – लम्बा समय गुजरने के बाद भी गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार नही दिये – तहसीलदार का कर्तव्य कि वह स्वतः ही तीन वर्ष बाद खातेदारी अधिकार दर्ज करे। (5.) 2015 DNJ 1874 Para 41 and 42 HC, 2015 WLC 548, पेश किया गया। जिसके अनुसार "The legal position is very fairly well settled by a long line of decisions of this Court which have laid down that even when there is no period of limitation prescribed for the exercise of any power, revisional or othervise, such power must be exercised within a reasonable period. This is so even in cases where allegations of fraud have necessitated the exercise of any corrective power. Even if the fruad is alleged, the power must not be exercised after unreasonable period, such as, after several decades claiming rights over the land". (6.) 2013 RRD 456, पेश किया गया। जिसके अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, धारा 76 – कलक्टर ने नियम 14(4) के तहत - Appeal against order of R.A.A.- held allottee R was Government employee at the time of allotment of disputed land - He has mentioned in the application that he is a Government employee - appellate Authority has logically considered documents on record and has been obtained for allotment of government land by the non-petitioner- It will be miscarriage of justice if the allotment is cancelled after 40 years- No material information has been concealed by the non- petitioner allottee- Appeal field by appellants is devoid of any merit. (7.) 1999 (6) RBJ 412, 2018 RRD I 299, पेश किया गया। जिसके अनुसार A petition was presented under rule 14(4) of the Rajasthan Land Revenue Rules 1970 on the ground that in the year 1968 appelant was teacher in primary school. Before the subordinate courts it was pleaded by the appellant that at that time there was no speciffic ban under those circulars in which regularisation was made.

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

Further he submits that long back appellant has also retired from the service, therefore it would be harsh if allotment is cancelled. (8.) 2018 RRT 299, पेश किया गया। जिसके अनुसार राजस्थान भू राजस्व (संशोधित) अधिनियम, 1997 की धारा 101(3) के तहत वर्ष 1997 से पहले नौकरीशुदा व्यक्तियों को आवंटन का प्रावधान था, जिसे वर्ष 1997 से समाप्त किया गया हैं। इसके साथ ही कुछ और न्यायिक दृष्टान्त 2001 RRD 437, 2016 RRD 622, 2008 WLC (1) 110, 2015 RRD 16 पेश किये गये और निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाना फरमावें।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन, मनन, विचार किया जाकर व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। राजकीय अधिवक्ता का यह मुख्य तर्क रहा है कि उक्त आवंटन आवंटी द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा धोखे में रखकर करवाया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है उनमें विभिन्न उच्च न्यायालयों का मत रहा है कि अत्यधिक लम्बे विलम्ब के बाद भूमि आवंटन को निरस्त केवल एक आधार पर किया जा सकता है यदि व्यक्ति द्वारा किसी Fraud या Misrepresention के आधार पर धोखे से आवंटन की कार्यवाही करवायी हो। तहसीलदार, नाथद्वारा की रिपोर्ट दिनांक 10.04.2018 के अनुसार मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं है जिससे यह जांच हो सके की क्या प्रार्थी द्वारा उस समय कोई गलत तथ्य प्रस्तुत किया या नहीं ? प्रार्थी द्वारा भी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य, सबुत प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाकर कोई आवंटन करवाया गया हो। प्रार्थी अधिवक्ता के दो मुख्य तर्क रहे है परन्तु इन तर्को के समर्थन में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिसका विवरण इस प्रकार है :-

1. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस संबंध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि अप्रार्थी द्वारा किसी Fraud या Misrepresention के द्वारा भूमि आवंटित करवाई है।
2. प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी एक सरकारी कर्मचारी होने के कारण भू-आवंटन के लिए पात्र नहीं था परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि क्या वर्ष 1976 मे सरकारी कर्मचारी के भू-आवंटन पर कोई प्रतिबंध या यह नियम उसके बाद लागू किया गया है।

इस न्यायालय का मत है कि मूल पत्रावली उपलब्ध न होने से निश्चित रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आवंटी द्वारा किसी Fraud या Misrepresention के आधार पर भूमि आवंटन करवाई हो।

अधिवक्ता अप्रार्थी का बहस कथन है कि सरकारी नौकरी में होने के कथन को आवंटी द्वारा कभी भी छुपाया नही गया। जिस समय आवंटन की कार्यवाही हुई उस समय सरकारी कर्मचारी को भूमि आवंटन पर कोई प्रतिबन्ध

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नही था। इसके तर्को के समर्थन में अधिवक्ता अप्रार्थी के द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये। जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं।

(A) **1999 (6) RBJ 412, 2018 RRD I 299 -** "A petition was presented under rule 14(4) of the Rajasthan Land Revenue Rules 1970 on the ground that in the year 1968 appelant was teacher in primary school. Before the subordinate courts it was pleaded by the appellant that at that time there was no speciffic ban under those circulars in which regularisation was made. Further he submits that long back appellant has also retired from the service, therefore it would be harsh if allotment is cancelled"

(B) **2018 (1) RRT 299** - राजस्थान भू राजस्व (संशोधित) अधिनियम, 1997 की धारा 101(3) के तहत वर्ष 1997 से पहले सरकारी नौकरीशुदा व्यक्तियों को आवंटन का प्रावधान था "

(C) **1995 AIHC 1722** - "Allotment of Govt.land for cultivation on permanent basis- Cancellation of - Petitioner already holding land from 10 years as temporary cultivation lease holder prior to his joining the Govt. Service - thereaftar land remaining with his family members - Allotment cannot be canclled on ground that petitioner being in service was not cultivating the land personally - Amendment carried out in 1982 bringing in its definition a Govt. employee would not have retrospective effect."

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मयाद माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें यह उल्लेख किया है कि आवंटन दिनांक 15.05.1976 की जानकारी प्रथम बार दिनांक 26.04.2016 को हुई है। इससे पूर्व आवंटन की जानकारी नही थी और इसी आधार पर मयाद माफी किये जाने का निवेदन किया गया है। जिसका जवाब अधिवक्ता अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 20.12.2018 को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की जानकारी कैसे व किसी प्रकार हुई। जिसका जवाब प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नहीं दिया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अवधि के लिए जो न्यायिक दृष्टान्त दिये गये हैं जो निम्नानुसार है – **2015 DNJ 1874 Para 41 and 42 HC, 2015 WLC 548 -** "The legal position is very fairly well settled by a long line of decisions of this Court which have laid down that even when there is no period of limitation prescribed for the exercise of any power, revisional or othervise, such power must be exercised within a reasonable period. This is so even in cases where allegations of fraud have necessitated the exercise of any corrective power. Even if the fruad is alleged, the power must not be exercised after unreasonable period, such as, after several decades claiming rights over the land".

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

उपरोक्तानुसार विलम्ब अविध के प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि उक्त आवंटन से 40 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त भूमि अप्रार्थी के पूर्वाधिकारी लक्ष्मीनारायण को आवंटित हुई थी। लक्ष्मीनारायण के जीवनकाल तक उक्त आवंटन को चुनौति नहीं दी गयी है। तथा उसके स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि आराजी नं0 603 का नामान्तरण संख्या 740 दिनांक 05.07.2011 से अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज हुई है। वक्त आवंटन उक्त भूमि बिलानाम सिवायचक दर्ज थी जो आवंटन योग्य थी। हमारे देश में जहां भूमि का मॉ का दर्जा दिया जाता है वहॉ व्यक्ति को जमीन के साथ, भौतिक के साथ–साथ भावनात्मक रिश्ता भी होता है। अतः इतने लम्बे समय के बाद भूमि के आवंटन को निरस्त करना जो कि उसके पूर्वजो के समय से व्यक्ति विशेष के कब्जे में रही है, उस व्यक्ति विशेष के साथ अन्याय होगा। आवंटन के 40 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया यह प्रार्थना पत्र आधारहीन है। इस प्रकार इस मामले में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी लक्ष्मीनारायण के पक्ष मे किया गया वादग्रस्त आवंटन को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आवंटन के 40 वर्ष बाद विलम्ब अवधि से प्रस्तुत करने व प्रार्थी द्वारा अपने तर्को के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत न करने के आधार पर अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विलम्ब अवधि से प्रस्तुत करने व प्रार्थी द्वारा अपने तर्को के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत न करने के आधार पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 20.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)